उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-8/2020/146/बावन-1-2020-समर्पण व्यय 2018-19
लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2020

संशोधन -आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-2/2020/39/बावन-1-2020-समर्पण व्यय 2018-19 दिनांक 13 जनवरी, 2020 के प्रस्तर-2 में तालिका के क्रमांक-12 के स्तम्भ-4 में लिपिकीय त्रुटिवश **"सी0एण्ड डी0एस0" तथा क्रमांक-**14 से 23 तक पर उल्लिखित परियोजनाओं के लिए स्तम्भ-5 व स्तम्भ-7 में केन्द्रांश तथा अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि का योग क्रमश: "504.31" एवं "996.36 "अंकित हो गया है। अत: उक्त के स्थान पर प्रस्तर-2 में तालिका के क्रमांक-12 के स्तम्भ-4 में **"निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0"** तथा **क्रमांक-**14 से 23 तक पर उल्लिखित परियोजनाओं के लिए स्तम्भ-5 व स्तम्भ-7 में केन्द्रांश तथा अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि का योग क्रमश: **"492.07"** एवं **"984.12"** पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-2/2020/39/बावन-1-2020-समर्पण व्यय 2018-19 दिनांक 13 जनवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगे।

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-146 (1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में यथाआवश्यक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- प्रबन्ध निदेशक, **सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UO Gautam

http://shasanadesh.up.gov.in